

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (एस) संख्या 2840 / 2016

अखिलेश कुमार तिवारी पिता- लगन तिवारी, गांव: मंझियांव खुर्द, डाकघर और थाना: मंझियांव,
जिला: गढ़वा याचिकाकर्ता

बनाम

1. उदित नारायण तिवारी, पिता- रामचंद्र तिवारी
2. अरविंद तिवारी, पिता- उदित नारायण तिवारी
3. रवींद्र तिवारी, पिता- उदित नारायण तिवारी
4. आलोक तिवारी, पिता- उदित नारायण तिवारी क्रमांक 1 से 4 तक के निवासी हैं: गांव: कुटमू, पोस्ट ऑफिस: उंटारी रोड, पोस्ट ऑफिस: पांडू, जिला: पलामू।
5. रेणु देवी, पत्नी बिनोद पांडे, निवासी गांव: रपुरा, पोस्ट ऑफिस व पोस्ट ऑफिस: मंझियांव, जिला: गढ़वा।
6. अंजू कुमारी, पुत्री उदित नारायण तिवारी, निवासी गांव: कुटमू, पोस्ट ऑफिस: उंटारी रोड, पोस्ट ऑफिस: पांडू, जिला: पलामू।
7. शशि देवी, पत्नी राजेश दुबे, निवासी ग्राम गारा, पो.सुंडीपुर, कांडी, जिला गढ़वा।
8. रंजू देवी, पुत्री उदित नारायण तिवारी, निवासी ग्राम: कुटमू, डाकघर: उंटारी रोड, थाना: पांडू, जिला: पलामू
9. 9. संजू देवी, पुत्री उदित नारायण तिवारी, निवासी ग्राम: कुटमू, डाकघर: उंटारी रोड, थाना: पांडू, जिला: पलामू
10. श्रीमती. फुलमती देवी, कन्हैया प्रसाद चौरसिया की पत्नी।
11. श्रीमती. शोभा देवी, विंध्याचल प्रसाद की पत्नी
12. श्रीमती। नारायण साव की पत्नी बिमला देवी स्व. क्रमांक 10 से 12 ग्राम एवं डाकघर: उंटारी रोड, थाना: बिशनपुर, जिला: पलामू।
13. तिलारी देवी, पत्नी स्वर्गीय रामजस सिंह
14. देवेंद्र सिंह, पिता- स्वर्गीय रामजस सिंह क्रम संख्या 13 एवं 14 तक, ग्राम: मंझियांव कला, डाकघर और थाना: मंझियांव, जिला: गढ़वा।

15. उर्मिला देवी, पत्नी रामबचन सिंह, पुत्री स्वर्गीय रामजस सिंह, निवासी ग्राम: दचबार, डाकघर और थाना: पांडु, जिला: पलामू
16. रंभा देवी, पत्नी गणेश सिंह, पुत्री स्वर्गीय रामजस सिंह, निवासी ग्राम: सिलीदाग, डाकघर और थाना: रमना, जिला: गढ़वा।
17. गीता देवी, पत्नी सत्येन्द्र सिंह, पुत्री स्वर्गीय रामजस सिंह, निवासी ग्राम: पतनपुरवी, डाकघर और थाना: पाटन, जिला: पलामू।
18. चंदेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ देव प्रसाद सिंह, पिता- स्वर्गीय राम गहन सिंह, निवासी ग्राम- मंझियोन कलां, डाकघर और थाना: मंझौन, जिला: गढ़वा
19. लावांगबास देवी, पुत्री स्वर्गीय राम गहन सिंह, पत्नी संत सिंह , निवासी गांव + डाकघर: सिलिदाग , थाना: नगरउंटारी , जिला: गढ़वा
20. अजीत सिंह उर्फ भीखन सिंह, पिता- महेश्वरी सिंह, ग्राम - कौआखोह , डाकघर- बंदिहा, थाना: मंझिओन , जिला- गढ़वा

..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री संजय कुमार तिवारी, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से : श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी, एडवोकेट

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रिट याचिका वापस लेने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है, साथ ही उन्हें विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है, ताकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित के रूप में चिह्नित किए जाने वाले दस्तावेजों के लेखक की जांच की जा सके, जो उप-न्यायाधीश, III, गढ़वा की अदालत के विभाजन वाद संख्या 43/2004 के वादी हैं ।

3. इस रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ किया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर की जाने वाली याचिका की योग्यता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए, यदि यह दायर की जाती है, तो इस आदेश से पक्षपात किए बिना, कानून के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 25 अप्रैल, 2024
स्मिता /एएफआर

अनुवादक : एडवोकेट मधु कुमारी